भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2022

दिनांक 17.12.2013/ 26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार संबंधी सेमिनार

†2022. डॉ0 मन्दा जगन्नाथ :

श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

श्रीमती अश्वमेध देवीः

श्री अशोक कुमार रावत :

श्रीमती सुमित्रा महाजनः

श्री भूदेव चौधरीः

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः

श्री दानवे राव साहेब पाटीलः

श्री गोरखनाथ पाण्डेयः

श्रीमती सुस्मिता बाउरीः

श्री विरेन्द्र कुमारः

श्री ताराचन्द भगोराः

श्रीमती मीना सिंहः

श्री ई.जी. सुगावनमः

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार में वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर हाल में दिल्ली में कोई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हुए हैं तथा इस सेमिनार में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार के महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए पुलिस कार्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह)

(क) और (ख) : गृह मंत्रालय को ऐसे किसी सेमिनार की जानकारी नहीं है।

.....2/-

(ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, उन्हें दर्ज करने, जांच और अभियोजन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, भारत सरकार महिलाओं के कल्याण के प्रति अत्यधिक चिन्तित है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी-पत्रों तथा अनेक स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देती है ।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 04 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं के प्रति अपराधों पर विस्तृत परामर्शी पत्र भेजा है, जिसमें पैरा 5 (v) के माध्यम से "सभी पदों के पुलिस कार्मिकों के साथ-साथ दांडिक न्याय प्रणाली के अन्य पदाधिकारियों के लिए सुसंगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों और सेमिनारों आदि के द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों के प्रति कानून लागू करने वाली मशीनरी को सुग्राही बनाने" के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से सलाह दी गई है। ऐसे कार्यक्रमों को सभी स्तरों पर विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जा सकता है।

लिंग सुग्राहीकरण कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) हैदराबाद, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एनईपीए) शिलांग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) नई दिल्ली, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सीडीटीएस) और केन्द्रीय पुलिस संगठनों (वीपीओ), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) आदि के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण मॉडयूलों का एक अनिवार्य हिस्सा है।

लिंग संबंधी मुद्दे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं से संबंधित विशेष कानूनों और महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका के विधिक प्रावधानों से संबंधित सूचनाओं के एकीकरण के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल है। मॉडयूलों हेतु प्रयोग किए जाने वाले साधनों और तरीकों में लिंग संबंधी रूढ़ि धारणा की जांच के लिए बनाई गई प्रश्नावली, संवैधानिक अधिकारों, यौन अपराधों, वैवाहिक अपराधों और अधिकारों आदि जैसे महत्वपूर्ण लिंग संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों का अध्ययन शामिल है।

सभी रैंकों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए बुनियादी और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सभी पाठ्यक्रमों में लिंग सुग्राहीकरण मॉड्यूलों को शामिल करने के लिए बीपीआरएंडडी ने भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ को एक परामर्शी-पत्र जारी किया है। बीपीआरएंडडी ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीओ/सीएपीएफ से "लिंग सुग्राहीकरण" और "महिलाओं के प्रति अपराधों की जांच" के संबंध में राज्य और जिला स्तरों पर कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुरोध किया है। बीपीआरएंडडी ने लिंग सुग्राहीकरण और महिलाओं के प्रति अपराध पर कार्यशाला हेतु पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। इसे सभी प्रशिक्षण संस्थाओं के सूचनार्थ और दिशानिर्देश हेतु बीपीआरएंडडी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

*****